सं0सं0–म0नि0–II–उ0 यो0–48/2017–18/ 17 रा0 वि0/

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 25/07/23

विषय– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में केन्द्र प्रायोजित योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् कुल 1,65,000 सकिय मछुआरों के बीमा (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना–Group Janata Personal Accident Policy and Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability and Hospitalization) हेतु कुल मो0 62.70 लाख (बासठ लाख सत्तर हजार) रु0 मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में माँग सं0–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत् कुल 1,65,000 सकिय मछुआरों के बीमा (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना–Group Janata Personal Accident Policy and Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability and Hospitalization) हेतु कुल मो0 62.70 लाख (बासठ लाख सत्तर हजार) रु0 मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के पत्रांक F.No.J-2801212/1/2020-Fy (WU) दिनांक 30.09.2021 द्वारा संसूचित किया गया है कि Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही Group Accident Insurance Scheme को अब प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत् Insurance of Fisher कम्पोनेंट में समाहित कर दिया गया है।

3. NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2023-24 दिनांक 03.05.2023 के आलोक में PMMSY के तहत् क्रियान्वित की जा रही इस योजना हेतु लागू प्रीमियम का व्यय भार वहन अब केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 60 : 40 के अनुपात में किया जाएगा। तद्नुसार राज्य योजना का प्रीमियम मो0 62,70,000/– रू0 मात्र होगा। केन्द्र सरकार राज्यांश के समानुपातिक अपने अंशदान की 60 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) हैदराबाद को सीधे प्रेषित करेगी, जो इस योजना की मत्स्य प्रक्षेत्र की नोडल एजेंसी है।

4. इस योजना के अंतर्गत NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/Tech 5/Fisheries Insurance/2018-19 दिनांक 03.09.2020 के आलोक में इस योजना में 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग के राज्य के वैसे सभी सक्रिय मछुआरा लाभान्वित होंगे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलम्बी समिति के सदस्य हों अथवा जिला स्तर, प्रमण्डल स्तर अथवा राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से सम्बद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, केज मत्स्य मित्र, मत्स्य मित्र हों अथवा मत्स्य पालन से संबंधित संबद्ध गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों की कोई अन्य क्षेणी हों।

"Insurance to Fishers" योजना NFDB के माध्यम से "Group Janata Personal Accident Policy (GJPA)"–सह–"Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability and Hospitalization" दो संयुक्त कॉम्पोनेन्ट के रूप में लागू होगी। इस योजना के लिए प्रति मछुआरा प्रति वर्ष प्रीमियम की दरें निम्न प्रकार हैं–

Policy	Description	Premium	Coverage
Policy 1	Group Janata Personal Accident Policy (GJPA)	Premium rate : Rs. 91/- (GST @ 0 %)	Rs. 5.00 lakh against death or permanent total disability
Policy 2	Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability (PPD) and Hospitalization	Premium rate : Rs. 4/- (Inclusive of GST @ 18 %)	i. Rs. 2.50 lakh against permanent partial disability ii. Rs. 25,000 against accidental hospitalization

केन्द्र सरकार का अंशदान प्रतिशत **60 %** = 57.00 रू0
राज्य सरकार का अंशदान प्रतिशत **40 %** = 38.00 रू0

(लाभुकों से कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा)

कुल प्रीमियम का भार वहन निम्न प्रकार होगा–

(राशि रू0 में)

क्रम	प्रीमियम का भार वहन	पॉलिसी का प्रकार	राज्य सरकार का अंशदान	केन्द्र सरकार का अंशदान	कुल
1.	केन्द्र सरकार–60 % राज्य सरकार–40 %	1- GJPA 2- Special Contingency Policy	36.40 1.60	54.60 2.40	91.00 4.00
		कुल	**38.00**	**57.00**	**95.00**

5. NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2023-24 दिनांक 03.05.2023 के आलोक में इस योजना अंतर्गत बीमा कवरेज की द्वितीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022–23) की वार्षिक समयावधि दिनांक 25.07.2023 के मध्य रात्रि को समाप्त हो रही है तथा तृतीय वर्ष अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक समयावधि दिनांक 26.07.2023 से 25.07.2024 की मध्य रात्रि तक होगी।

6. विभिन्न तीन लघु शीर्षवार स्वीकृत मूल बजट उपबंध एवं पुनर्विनियोग द्वारा संशोधित बजट उपबंध के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत निम्न रूप से राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है –

मॉग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–77–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

(राशि रू0 में)

क0	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	पुनर्विनियोग द्वारा संशोधित बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन				
1	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	201000000.00	201000000.00	0.00	201000000.00
	कुल केन्द्रांश	**201000000.00**	**201000000.00**	**0.00**	**201000000.00**

2	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	134000000.00	133171234.00	0.00	133171234.00
3	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	3000000.00	3828766.00	3828766.00	0.00
	कुल राज्यांश	**137000000.00**	**137000000.00**	**3828766.00**	**133171234.00**
	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
4	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	45000000.00	45000000.00	0.00	45000000.00
	कुल केन्द्रांश	**45000000.00**	**45000000.00**	**0.00**	**45000000.00**
5	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	30000000.00	29963370.00	0.00	29963370.00
6	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	700000.00	736630.00	736630.00	0.00
	कुल राज्यांश	**30700000.00**	**30700000.00**	**736630.00**	**29963370.00**
	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
7	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	135000000.00	135000000.00	0.00	135000000.00
	कुल केन्द्रांश	**135000000.00**	**135000000.00**	**0.00**	**135000000.00**
8	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	90000000.00	89595396.00	0.00	89595396.00
9	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	1300000.00	1704604.00	1704604.00	0.00
	कुल राज्यांश	**91300000.00**	**91300000.00**	**1704604.00**	**89595396.00**
	कुल योग :	**640000000.00**	**640000000.00**	**6270000.00**	**633730000.00**

कुल स्वीकृत राशि 62.70 लाख (बासठ लाख सत्तर हजार) रू0 मात्र।

7. बीमित व्यक्तियों को निम्न प्रकार बीमा लाभ प्राप्त होगा–

(क) मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित को अथवा उनके वैध आश्रित को मो0 5,00,000/– (पाँच लाख) रू0 का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

(ख) आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में मो0 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार) रू0 एवं मो0 25,000/– (पच्चीस हजार) रू0 तक का अस्पताल खर्च भुगतान किया जाएगा।

(ग) बीमा दावों के निस्तार हेतु NFDB में एक कोषांग का भी गठन किया गया है।

8. (क) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे तथा राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी। इस योजना के तहत् स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विमुक्ति एवं अनुश्रवण हेतु चालू की गई Public Financial Management System (PFMS) की नयी प्रकिया को अपनाते हुए PMMSY हेतु नामित SNA के खाते से इस योजना के नोडल एजेंसी NFDB को सीधे अथवा निर्धारित किसी IA के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर संसूचित सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

NFDB के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2023-24/569 दिनांक 04.07.2023 द्वारा उपलब्ध कराया गया बैंक खाते का विवरण निम्न है –

Sl. No.	Particulars	Details
1)	Name of the Bank	Union Bank of India
2)	Name of the Branch	Secretariat Branch, Hyderabad
3)	Account Number	110311010000004
4)	Nature of the Account	Current
5)	Name of the Account Holder	National Fisheries Development Board
6)	IFSC	UBIN0811033
7)	MICR	500026096

(ख) इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

9. पूर्व में चालित केन्द्र प्रायोजित सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की भाँति ही जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा विहित प्रपत्र में वांछित अनुलग्नकों सहित भरे हुए तथा बीमित/वैध आश्रित द्वारा हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा मत्स्य निदेशालय को भेजे जायेंगे। निदेशालय द्वारा इसे नोडल एजेंसी (NFDB) को भेजा जायेगा अथवा NFDB से प्राप्त निदेशों के आलोक में प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

10. जिला मत्स्य पदाधिकारी/दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी, बीमित के बैंक खाते से संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक को बीमित के दुर्घटना/मृत्यु की सूचना ससमय संसूचित करेंगे ताकि किसी एक ही एजेंसी अर्थात बैंक के माध्यम से अथवा NFDB के माध्यम में से मात्र एक ही दावे का भुगतान बीमित को हो।

11. इस योजना के लिए उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए निर्धारित योजना उदव्यय तथा बजट–उपबंध के अंतर्गत है।

12. जिलावार, लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है।

13. जिला मत्स्य कार्यालयों, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रबन्ध निदेशक, झास्कोफिश के द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा ताकि अज्ञानतावश मछुआरे इस योजना के लाभ से वंचित न रहें।

14. मत्स्य निदेशालय/जिला मत्स्य कार्यालयों के द्वारा मछुआरों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के पृथक–पृथक एक पृष्ठ के सूचना पैम्फलेट प्रकाशित कराये जायेंगे, ताकि लक्षित वर्ष के समस्त लोगों को ऐसी योजनाओं की जानकारी दी जा सके।

15. यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् एक Component के रुप में चालू की गई है तथा इस योजना के अंतर्गत कोई भी राशि अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है।

16. निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची द्वारा इस योजना पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval & Monitoring Committee – SLAMC) की दिनांक 26.05.2023 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया गया है तथा मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 981 दिनांक 01.06.2023 द्वारा NFDB, हैदराबाद को संसूचित है।

17. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–302 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

18. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17–04–98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

19. इस योजना का कियान्वयन भारत सरकार एवं नोडल एजेंसी NFDB, हैदराबाद द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 17 सं0 वि0/**राँची, दिनांक** 25/07/23

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 17 सं0 वि0/**राँची, दिनांक** 25/07/23

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुंसधान)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS/NFDB, हैदराबाद/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

17 ... 25/07/23

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2023–24 में माँग सं0–53–मत्स्य–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–77–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मछुआरों के बीमा का प्रस्तावित भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय (रूपये में) लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना			लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन			कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	
		विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय											
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य				
			राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राँची	1517	57646.00	86469.00	3810	144780.00	217170.00	2082	79116.00	118674.00	7409	281542.00	422313.00
2	खूँटी	1037	39406.00	59109.00	2500	95000.00	142500.00	771	29298.00	43947.00	4308	163704.00	245556.00
3	गुमला	277	10526.00	15789.00	3617	137446.00	206169.00	2730	103740.00	155610.00	6624	251712.00	377568.00
4	सिमडेगा	250	9500.00	14250.00	7820	297160.00	445740.00	462	17556.00	26334.00	8532	324216.00	486324.00
5	लोहरदगा	374	14212.00	21318.00	5400	205200.00	307800.00	3096	117648.00	176472.00	8870	337060.00	505590.00
6	लातेहार	1456	55328.00	82992.00	2674	101612.00	152418.00	4134	157092.00	235638.00	8264	314032.00	471048.00
7	प0 सिंहभूम	208	7904.00	11856.00	2727	103626.00	155439.00	843	32034.00	48051.00	3778	143564.00	215346.00
8	पूर्वी सिंहभूम	98	3724.00	5586.00	807	30666.00	45999.00	1230	46740.00	70110.00	2135	81130.00	121695.00
9	सरायकेला	572	21736.00	32604.00	3540	134520.00	201780.00	7801	296438.00	444657.00	11913	452694.00	679041.00
10	दुमका	467	17746.00	26619.00	2628	99864.00	149796.00	5316	202008.00	303012.00	8411	319618.00	479427.00
11	जामताड़ा	477	18126.00	27189.00	1292	49096.00	73644.00	4467	169746.00	254619.00	6236	236968.00	355452.00
12	साहेबगंज	860	32680.00	49020.00	1174	44612.00	66918.00	3705	140790.00	211185.00	5739	218082.00	327123.00
13	पाकुड़	252	9576.00	14364.00	2130	80940.00	121410.00	3810	144780.00	217170.00	6192	235296.00	352944.00
14	हजारीबाग	1404	53352.00	80028.00	455	17290.00	25935.00	5428	206264.00	309396.00	7287	276906.00	415359.00
15	रामगढ	2135	81130.00	121695.00	156	5928.00	8892.00	4509	171342.00	257013.00	6800	258400.00	387600.00
16	कोडरमा	1793	68134.00	102201.00	88	3344.00	5016.00	5619	213522.00	320283.00	7500	285000.00	427500.00
17	चतरा	1840	69920.00	104880.00	556	21128.00	31692.00	3708	140904.00	211356.00	6104	231952.00	347928.00
18	बोकारो	350	13300.00	19950.00	300	11400.00	17100.00	2837	107806.00	161709.00	3487	132506.00	198759.00
19	गिरिडीह	811	30818.00	46227.00	258	9804.00	14706.00	6732	255816.00	383724.00	7801	296438.00	444657.00
20	धनबाद	928	35264.00	52896.00	812	30856.00	46284.00	4678	177764.00	266646.00	6418	243884.00	365826.00
21	गोड्डा	303	11514.00	17271.00	913	34694.00	52041.00	4588	174344.00	261516.00	5804	220552.00	330828.00
22	पलामू	21	798.00	1197.00	0	0.00	0.00	5372	204136.00	306204.00	5393	204934.00	307401.00
23	गढवा	414	15732.00	23598.00	422	16036.00	24054.00	6564	249432.00	374148.00	7400	281200.00	421800.00
24	देवघर	1541	58558.00	87837.00	779	29602.00	44403.00	10275	390450.00	585675.00	12595	478610.00	717915.00
	योग:	19385	736630.00	1104945.00	44858	1704604.00	2556906.00	100757	3828766.00	5743149.00	165000	6270000.00	9405000.00

राज्यांश कुल मो0 62.70 लाख (बासठ लाख सत्तर हजार) रु0 मात्र।

(अबुबकर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव